न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–छतरपुर

R-301-II/13

श्री .... द्वारा आज दि. 23.1.13 को प्रस्तुत

23/1/13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती पूजा जैन पत्नी श्री प्रकाशचन्द्र जैन, निवासी– वार्ड नं. 4 पुराना बाजार, घुवारा, तहसील घुवारा, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदिका

विरूद्ध

(1) छुट्टन पिता जगुवा अहिरवार, निवासी– घुवारा, तहसील घुवारा, जिला–छतरपुर

(2) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला–छतरपुर

...... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार, तहसील घुवारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 34/अ–3/11–12 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

(1) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार घुवारा का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 छुट्टन द्वारा तहसीलदार घुवारा के समक्ष एक आवेदन–पत्र तरमीम किये जाने बाबत इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि सर्वे नं. 1340/4 रकवा 0.143 एवं सर्वे नं. 4000/1/4 रकवा 0.229 हेक्टेयर की तरमीम की जाये, जिस पर समस्त पड़ौसी कृषकों को सूचना दिये बिना ही केवल राजस्व निरीक्षक के एकपक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर आदेश दिनांक 20.03.2012 से तहसीलदार घुवारा द्वारा तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये गये, जबकि पड़ौसी कृषकों को सूचना दिया जाना अति आवश्यक है। अतः तहसीलदार की तरमीम की कार्यवाही सूचना दिये बिना होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

(3) यहकि, तहसीलदार द्वारा सर्वे नं. 4000/1/1/1, 4000/1/1/2 रकवा 0.147 का तरमीम इस आधार पर की गई है कि उक्त भूमि सड़क से लगी हुई है, जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि सड़क के दूसरी ओर स्थित है एवं तहसीलदार द्वारा जो तरमीम की गई है वह रोड से लगी हुई भूमि की गई है, जबकि यह भूमि वास्तविक रूप से रोड से लगी हुई नहीं है। इस प्रकार तहसीलदार की कार्यवाही स्थल की वास्तविकता के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

(4) यहकि, आवेदिका शिक्षित होकर एक संभ्रांत महिला है तथा उसके द्वारा तहसीलदार द्वारा की गई अवैध कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उन्होंने अनावेदक क्रमांक 1 से मिलीभगत करके अवैध कार्यवाही की है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदिका उक्त प्रकरण को प्रस्तुत करने की अधिकारिता रखती है।

(5) यहकि, तरमीम की कार्यवाही किये जाने से पूर्व पड़ौसी कास्तकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना कानून में विहित प्रावधान है, किन्तु इस प्रकरण में पड़ौसी

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – छतरपुर

प्रकरण कमांक निग0 301–तीन/14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/10/15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, तहसील घुवारा द्वारा प्रकरण कमांक 34/अ–3/11–12 में पारित आदेश दिनांक 20.3.12 के विरूद्ध पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 छुट्टन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का आवेदन किया कि ग्राम धुवारा स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 1340/4 रकबा 0.143 एवं 4000/1/4 उसके स्वामित्व की है जिसमें खसरा पांचसाला में बटा कायम है परंतु नक्शे में तरमीम नहीं है अतः तरमीम की जाये । उक्त आवेदन तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को समस्त बटा नंबरों के तरमीम प्रस्ताव देने हेतु भेजा जिस परसे तहसीलदार ने आवश्यक कार्यवाही उपरांत अपना प्रतिवेदन तहसीलदार को पेश किया जिसकी पुष्टि तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा की है । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ प्रकरण में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 20.3.12 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी दिनांक 23.1.13 को पेश की गई है जो अवधि बाह्य है । विलंब क्षमा करने हेतु ना तो कोई पत्र और ना ही शपथपत्र है । न्यायदृष्टांत 1996 आर0एन0 258 हीरालाल विरूद्ध	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के हस्ताक्ष

नाथूलाल में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

" धारा 5– विलम्ब की माफी के लिए आवेदन तथा शपथ पत्र फाइल नहीं किया गया – 5 दिन का विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता है ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में यह निगरानी इसी आधार पर निरस्ती योग्य है । प्रकरण को यदि गुणदोष पर भी देख जाये तो यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा भूमि क्रय करने की बात कही गई है किंतु किस सर्वे नंबर की भूमि क्रय की गई है इस संबंध में ना तो विक्रय पत्र की प्रति पेश की गई है और ना ही सर्वे नंबर का उल्लेख किया गया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से निरस्त की जाती है ।

है ।

सदस्य